न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमों (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क) के अंतर्गत

**परमिशन वाद संख्या 122 वर्ष 2016**

आवेदिका– रामविलास महतो, जवाहरलाल महतो
रामेश्वर महतो
ग्राम – करमा टोला मनीपुर
थाना – कसमार जिला–बोकारो

क्रेता– कलावती देवी
ग्राम – करमा टोला भण्डारडीह
थाना – कसमार जिला– बोकारो

| आदेश की क्र0 सं0 तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 |

**आदेश**

यह वाद आवेदक रामविलास महतो , जवाहलाल महतो रामेश्वर महतो पिता स्व0 घांसीराम महतो मिनिया देवी पति स्व0 फुची महतो ग्राम करमा टोला मनीपुर थाना कसमार जिला–बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

| मौजा | थाना न0 | खाता न0 | प्लॉट न0 | कुल रकबा | बिकी रकबा | भूमि दर्जा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| करमा | 146 | 11 | 1021 | 47 डी0 | 31 डी0 | कृषि योग्य |

को वे लडकी की शादी हेतु मो 65000/– (पैंसठ हजार) रूपये में क्रेता– श्रीमती कलावती देवी पति श्री भीम महतो ग्राम करमा टोला भण्डारडीह थाना–कसमार जिला– बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 388/रा0 दिनांक 19.07.2016 के माध्यम से अंचल अधिकारी, कसमार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, कसमार के पत्रांक 549 दिनांक 26.09.2016 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है किः–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं तथा दोनों पिछडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता ग्राम करमा टोला मनीपुर थाना कसमार जिला बोकारो तथा केता कलावती देवी पति भीम महतो ग्राम करमा टोला भण्डारडीह थाना कसमार जिला बोकारो का निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के परदादा जेहल महतो एवं अन्य के नाम सर्वे खतियान में दर्ज है एवं उसकी जमाबन्दी पंजी–II के पृष्ठ सं0 114 भोलम न0 I पर घांसीराम महतो वगैरह के नाम से दर्ज है तथा वर्ष 2015–16 तक लगान रसीद निर्गत है।
03. खतियानी रैयत/जमाबंदी रैयत से विकेताओ का परदादा का संबंध है बिकी वाली भूमि विकेता के हक–हिस्से एवं दखल कब्जा मे है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी0सी0एल0 अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन

को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता रामविलास महतो जवाहरलाल महतो रामेश्वर महतो, मिनिया देवी के द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके परदादा जेहल महतो तथा मिनिया देवी के दादाससुर जेहल महतो वेगै0 के नाम सर्वे खतियानी जमीन है तथा उक्त जमीन की जमाबन्दी पंजी–II में परदादा या दादाससुर जेहल महतो के नाम से चल रही है। उक्त जमाबन्दी में वर्ष 2015–16 तक लगान रसीद निर्गत है। बिक्री वाली जमीन उनके पूर्वज के दखल कब्जा के हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रही हैं।
क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:–

01. विक्रेता– जेहल महतो के नाम सर्वे खतियान की छायाप्रति तथा घांसीराम महतो ,लखु महतो वगैरह के नाम सरकारी लगान रसीद की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता– स्वयं के नाम शपथ प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी कसमार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष कुर्मी जाति के हैं, जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं तथा एक ही जिलान्तर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के परदादा के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक रामविलास महतो , जवाहलाल महतो रामेश्वर महतो पिता स्व0 घांसीराम महतो मिनिया देवी पति स्व0 फुची महतो ग्राम करमा टोला मनीपुर थाना कसमार जिला–बोकारो निम्नांकित भूमि :–

| मौजा | खाता न0 | प्लॉट न0 | कुल रकबा | बिकी रकबा | उतर सीमा | दक्षिण सीमा | पूरब सीमा | प0 सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रमा | 11 | 1021 | 47 डी0 | 31 डी0 | परती | काशीनाथ महतो वगैरह | बाँधपीड | रंजित महतो |

कुल इक्कतीस डीसमिल जमीन मात्र।

मो0 65000/– (पैंसठ हजार) रूपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता– श्रीमती कलावती देवी पति श्री भीम महतो ग्राम करमा टोला भण्डारडीह थाना–कसमार जिला–बोकारो को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.15 07:00:08 -08:00
Location: 192.168.1.35